विलम्बित

विलम्बित

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 रेस्टो. 3221 - 9100 - 00M-16

1. सुन्दरबाई वेवा केसुरामजी मोगिया निवासी ग्राम कचलाना तहसील व जिला रतलाम
2. चेनलाल पुत्र भागीरथ मोगिया निवासी ग्राम बड़नगर जिला उज्जैन म0प्र0
3. उमराव पुत्र चेनलाल मोगिया निवासी ग्राम वरवर्णी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन म0प्र0

मांगीलाल पुत्र केसुराम मृत वारिस

4. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल ग्राम कचलाना तहसील व जिला रतलाम म0प्र0

हीरालाल मृत वारिस

5. मुकेश पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम कचलाना तहसील व जिला रतलाम म0प्र0

--- आवेदकगण

बिरूद्ध

मांगू उर्फ मांगीलाल मृत वारिस

1. श्यामलाल
2. मानालाल
3. आत्माराम
4. जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समस्त निवासीगण ग्राम सुत्तरेटी तहसील व जिला रतलाम म0प्र0

मोणकलाल पुत्र नन्दाजी कुलंबी मृत वारिसान

5. जुझार सिंह
6. जगदीश पुत्रगण मोणकलाल समस्त निवासी ग्राम बदनारा तहसील व जिला रतलाम म.प्र.

--- अनावेदकगण

संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत्।

ए.पी. द्वारा ES. 23-6-16 को प्रस्तुत
23-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

23/6/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो. 9100–पीबीआर / 16 सुन्दरबाई / मांगू जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–8–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह पुनर्स्थापन आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । उक्त आदेश को देखने से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में निरस्त नहीं किया जाकर अन्य बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकालते हुए निगरानी निरस्त की गई है । अतः मूल प्रकरण पुनर्स्थापित करने का प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं होने से यह पुनर्स्थापन आवेदन पत्र अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	